

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2379

जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े खाते में डाले गए ऋण

2379. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

श्री के. सुधाकरन:

डॉ. आलोक कुमार सुमन:

श्री बैत्री बेहनन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़े खाते में डाले गए ऋणों की उधारकर्ता श्रेणी (कॉर्पोरेट, एमएसएमई, कृषि, खुदरा, आदि) के अनुसार वर्षवार और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित बैंकवार विभाजित कुल राशि कितनी है;
- (ख) क्या यह सच है कि सबसे अधिक गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) एसबीआई द्वारा बड़े खाते में डाली गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बड़े खाते में डाली गई राशि में जानबूझकर चूक करने वालों की संख्या कितनी है और आज की तिथि के अनुसार ऐसे चूककर्ताओं पर कुल कितनी राशि बकाया है साथ ही सरकार द्वारा एनपीए की राशि को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
- (घ) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एक करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि वाले ऋण खातों की वर्षवार संख्या कितनी है; और
- (ङ) क्या एसबीआई सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने किसानों और छोटे व्यापारियों के ऋण बड़े खाते में डाले हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही कोविड और कोविड के बाद की अवधि में कितने जानबूझकर चूककर्ता हुए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ.): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह अवगत कराया है कि 'कॉर्पोरेट' श्रेणी के संबंध में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को बड़े खाते में डालने के संबंध में सूचना उसके द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 'बड़े उद्योगों और सेवाओं' की श्रेणी में बड़े खाते डाले जाने संबंधी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र की जाती है।

अतः, विगत पांच वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम), बड़े उद्योग और सेवाओं और खुदरा ऋणों की श्रेणियों के लिए घरेलू परिचालन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा बड़े खाते में डाले गए ऋणों का बैंक-वार, वर्ष-वार और श्रेणी-वार विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बैंकों ने उधारकर्ताओं को दिए गए ऋणों को माफ नहीं किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों और बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक एनपीए को बढ़े खाते डालते हैं जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वे एनपीए भी शामिल हैं जिनके संबंध में चार वर्ष पूरे होने पर पूर्ण प्रावधान किया गया है। इस प्रकार बढ़े खाते डालने से उधारकर्ताओं की देयताओं को माफ नहीं किया जाता है और इसलिए इससे उधारकर्ता को लाभ नहीं होता है। उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं और बैंक इन खातों में शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं।

इसके अतिरिक्त, बढ़े खाते डाले गए ऋणों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है और बैंक उनके पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्रों जैसे सिविल न्यायालयों अथवा ऋण वसूली अधिकरणों में वाद दायर करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के तहत कार्रवाई करना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण में मामले दायर करने आदि के अंतर्गत उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई अपनी वसूली की कार्रवाइयों को जारी रखते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बढ़े खाते डाली गई राशि में इरादतन चूककर्ताओं की संख्या उसके द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, बड़े ऋणों पर सूचना की केन्द्रीय रिपोजिटरी (सीआरआईएलसी) में पीएसबी द्वारा सूचित इरादतन चूककर्ताओं (विदेशी उधारकर्ताओं को छोड़कर) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत विशिष्ट उधारकर्ताओं का ब्यौरा निम्नानुसार है।

निम्नलिखित स्थिति के अनुसार	इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत विशिष्ट उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया सकल ऋण (करोड़ रु में)
31-03-2022	2,280	2,05,461
31-03-2023	2,120	1,85,773
31-03-2024	2,153	1,85,483
31-03-2025	2,101	1,78,766
30-06-2025	2,104	1,76,693

स्रोत: आरबीआई

एनपीए की वसूली और उसे कम करने के लिए सरकार तथा आरबीआई द्वारा व्यापक उपाय किए गए हैं, जिसके कारण पिछले पांच वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सकल एनपीए में कमी आई है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

निम्नलिखित स्थिति के अनुसार	सकल एनपीए	सकल एनपीए अनुपात (%)
31.03.2021	6,16,616	9.11
31.03.2022	5,40,958	7.28
31.03.2023	4,28,197	4.97
31.03.2024	3,39,541	3.47
31.03.2025	2,83,650	2.58

स्रोत: आरबीआई (वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनंतिम आंकड़े)

किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (1) दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) द्वारा ऋणदाता-उधारकर्ता संबंध में मूलभूत परिवर्तन लाकर, डिफॉल्ट करने वाली कंपनी का नियंत्रण प्रमोटर्स/मालिकों से छीनकर तथा इरादतन चूककर्ताओं को समाधान प्रक्रिया से बाहर करके ऋण संस्कृति में बदलाव लाया गया है। प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाने के कॉर्पोरेट देनदार के लिए व्यक्तिगत गारंटीकर्ता को भी आईबीसी के दायरे में लाया गया है।
- (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।
- (3) ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था ताकि डीआरटी उच्च मूल्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जिसके परिणामस्वरूप बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए और अधिक वसूली हो सके।
- (4) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एनपीए खातों की प्रभावी निगरानी और केंद्रित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषीकृत दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल और शाखाएं स्थापित की हैं, जिससे त्वरित और बेहतर समाधान/वसूलियां सुकर हो जाती हैं। कारोबार प्रतिनिधियों का अभिनियोजन और फीट-ऑन-स्ट्रीट मॉडल को अपनाने से भी बैंकों में एनपीए की वसूली की ट्रेजेक्टरी को बढ़ावा मिला है।
- (5) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विवेकपूर्ण ढांचा जारी किया गया था ताकि दबावग्रस्त आस्तियों की शीघ्र पहचान करने, रिपोर्ट करने और समयबद्ध समाधान करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराया जा सके जिसमें समाधान योजना को शीघ्र अपनाने के लिए उधारदाताओं को स्वाभाविक प्रोत्साहन दिया जा सके।

पीएसबी द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वित्तीय वर्ष के दौरान पीएसबी द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋण खातों की वर्षवार संख्या, जिनमें से प्रत्येक पर 1 करोड़ रुपये से अधिक और 3 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि है, अनुबंध-2 में दी गई है।

पीएसबी द्वारा बड़े खाते डाले गए ऋणों के संबंध में लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2379,

पीएसबी द्वारा बैंक-वार, वर्ष-वार और श्रेणी-वार एनपीए को बड़े खाते डाला गया

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक	वित्तीय वर्ष 2020-21							
	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	उद्योग			सेवाएँ			खुदरा ऋण
		सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	
बैंक ऑफ बड़ौदा	108	428	121	7,171	0	0	102	63
बैंक ऑफ इंडिया	643	472	156	4,369	894	111	1,521	141
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	178	31	-	2,610	79	0	1,805	165
केनरा बैंक	968	252	251	2,498	10	-	532	97
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	199	46	1	4,115	71	26	1,483	51
इंडियन बैंक	635	101	15	6,425	148	1	965	81
इंडियन ओवरसीज बैंक	293	66	13	3,073	34	6	778	58
पंजाब एंड सिंध बैंक	71	-	-	-	-	-	-	-
पंजाब नेशनल बैंक	10	4	0	14,411	539	206	103	1
भारतीय स्टेट बैंक	3,581	147	126	18,226	5,218	512	4,720	1,447
यूको बैंक	497	303	53	5,181	243	3	151	570
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,726	708	311	5,229	247	217	5,172	740

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक	वित्तीय वर्ष 2021-22							
	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	उद्योग			सेवाएँ			खुदरा ऋण
		सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	
बैंक ऑफ बड़ौदा	446	318	36	5,005	5,309	20	3,595	21
बैंक ऑफ इंडिया	571	472	0	1,950	521	0	3,798	109
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	599	527	54	158	828	47	440	380
केनरा बैंक	278	36	74	165		51	259	86
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	212	80	11	201	62	3	604	64
इंडियन बैंक	177	925	597	2,480	422	567	360	1,037
इंडियन ओवरसीज बैंक	219	105	21	1,884	151	-	390	801
पंजाब एंड सिंध बैंक	84	4	-	602	2	-	16	17
पंजाब नेशनल बैंक	342	661	80	8,199	489	86	2,313	283
भारतीय स्टेट बैंक	2,749	2,410	409	4,781	1,878	41	5,591	1,300
यूको बैंक	661	154	16	901	311	12	80	147
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,366	1,100	304	7,493	292	739	6,279	232

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक	वित्तीय वर्ष 2022-23							
	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	उद्योग			सेवाएँ			खुदरा ऋण
		सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	
बैंक ऑफ बड़ौदा	1,139	1,118	429	4,616	849	345	4,017	396
बैंक ऑफ इंडिया	866	645	36	2,168	377	7	1,111	115
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	597	137	0	354	196	66	-	141
केनरा बैंक	2,525	997	71	153	80	1	8,482	109
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,273	700	225	5,622	568	181	952	738
इंडियन बैंक	688	117	58	3,370	223	41	2,942	512
इंडियन ओवरसीज बैंक	372	372	20	1,881	41	-	91	454
पंजाब एंड सिंध बैंक	48	94	9	634	226	5	1,008	258
पंजाब नेशनल बैंक	1,478	955	53	7,495	1,331	12	4,384	154
भारतीय स्टेट बैंक	4,777	1,058	153	9,372	2,542	191	3,885	1,868
यूको बैंक	478	68	0	486	210	23	-	193
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,310	1,755	1,159	8,390	3,174	1,559	693	207

स्रोत: आरबीआई, घरेलू परिचालन

पीएसबी द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋणों के संबंध में लोक सभा अताराकित प्रश्न संख्या 2379,

पीएसबी द्वारा बैंक-वार, वर्ष-वार और श्रेणी-वार एनपीए को बट्टे खाते में डाला गया

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक	वित्तीय वर्ष 2023-24							
	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	उद्योग			सेवाएँ			खुदरा ऋण
		सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	
बैंक ऑफ बड़ौदा	3,056	253	141	2,407	305	69	842	661
बैंक ऑफ इंडिया	17	757	71	2,371	1,289	6	2,000	186
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	161	110	0	21	314	6	300	69
केनरा बैंक	351	266	570	2,899	2,405	101	2,795	652
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,866	418	45	2,799	933	108	3,051	781
इंडियन बैंक	1,486	646	572	3,135	687	176	448	1,311
इंडियन ओवरसीज बैंक	692	451	167	3,350	21	-	1,111	1,186
पंजाब एंड सिंध बैंक	-	-	-	211	-	-	585	-
पंजाब नेशनल बैंक	2,166	1,438	36	10,084	794	151	1,821	191
भारतीय स्टेट बैंक	4,575	246	57	4,725	572	152	3,130	1,945
यूको बैंक	282	17	-	616	11	-	189	156
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	4,250	1,178	235	5,478	1,743	479	3,994	901

(राशि करोड़ रुपये में)

खाता होना	वित्त वर्ष 2024-25							
	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	उद्योग			सेवाएँ			खुदरा ऋण
		सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	सूक्ष्म और लघु	मध्यम	बड़ा	
बैंक ऑफ बड़ौदा	671	552	342	575	618	81	1,552	52
बैंक ऑफ इंडिया	1,270	742	232	2,042	1,808	6	1,179	586
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	288	74	4	15	301	20	24	69
केनरा बैंक	610	1,755	442	3,950	2,967	372	1,585	357
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	135	110	27	646	153	4	2,209	86
इंडियन बैंक	1,458	422	49	1,028	1,036	0	289	635
इंडियन ओवरसीज बैंक	303	320	48	14	461	47	2,330	240
पंजाब एंड सिंध बैंक	0	70	10	483	111	14	540	294
पंजाब नेशनल बैंक	1,558	163	36	4,213	786	44	1,280	1,749
भारतीय स्टेट बैंक	4,174	390	124	7,108	1,104	34	4,384	2,788
यूको बैंक	187	64	33	192	419	1	121	224
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,364	1,421	534	3,037	1,050	359	881	1,113

स्रोत: आरबीआई, घरेलू परिचालन

* वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई अनंतिम आंकड़े

पीएसबी द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋणों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2379,

पीएसबी द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों की संख्या, जिनमें से प्रत्येक की बकाया राशि
1 करोड़ रुपये से अधिक और 3 करोड़ रुपये से अधिक है

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	बैंक	बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों की संख्या जिनमें से प्रत्येक की बकाया राशि है									
		वित्तीय वर्ष 2020-21		वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25	
		1 करोड़ रु से अधिक	3 करोड़ रु से अधिक	1 करोड़ रु से अधिक	3 करोड़ रु से अधिक	1 करोड़ रु से अधिक	3 करोड़ रु से अधिक	1 करोड़ रु से अधिक	3 करोड़ रु से अधिक	1 करोड़ रु से अधिक	3 करोड़ रु से अधिक
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	168	120	254	201	512	441	642	283	240	188
2	बैंक ऑफ इंडिया	84	44	165	78	135	74	137	79	104	47
3	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	69	52	432	159	256	102	360	90	374	123
4	केनरा बैंक	209	136	154	124	288	226	269	223	370	276
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	182	124	132	57	326	240	207	199	105	56
6	इंडियन बैंक	88	80	127	107	180	137	624	289	79	50
7	इंडियन ओवरसीज बैंक	77	49	74	48	74	49	201	126	82	28
8	पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0	24	21	118	52	14	14	39	34
9	पंजाब नेशनल बैंक	28	13	87	68	1,964	774	1,817	656	1,456	624
10	भारतीय स्टेट बैंक	1,014	649	586	378	512	339	407	250	420	216
11	यूको बैंक	228	136	190	79	79	46	63	43	128	38
12	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	132	108	296	197	397	312	1,609	827	434	235

स्रोत: बैंक
